न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर UPBP010017902026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-644/2026
सी०एन०आर०संख्या-UPBP010017902026
(रजिस्टर संख्या-449/2026)
राहुल यादव प्रति राज्य

मुकदमा अपराध संख्या-113/2026
धारा-115(2), 352, 351(3), 333
भारतीय न्याय संहिता
(धारा-323,504,506,452 भारतीय दण्ड संहिता)
थाना-कोतवाली नगर जिला-बलरामपुर

10.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त राहुल यादव पुत्र बृजभान यादव निवासी मोहल्ला विशुनीपुर भगवतीगंज थाना-कोतवाली नगर जनपद-बलरामपुर की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथपत्र मुकदमा अपराध सं0-113/2026 अंतर्गत धारा-115(2), 352, 351(3), 333 भारतीय न्याय संहिता, थाना-कोतवाली नगर, जिला-बलरामपुर में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत हुआ है, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी/सूचनाकत्री गीता देवी ने दिनांक 23.05.2026 को थाना-कोतवाली नगर में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि वह बिशुनीपुर थाना-कोतवाली नगर जनपद-बलरामपुर की निवासिनी है। दिनांक 16.05.2026 की रात लगभग 10.00 बजे विपक्षीगण राहुल यादव, अशोक यादव वादिनी के घर में जबरन घुस आये और गाली देते हुए लात-मूका, थप्पड़ से वादिनी एवं उनके पति सतीश चन्द्र यादव को मारने पीटने लगे। ये लोग ईंट व डण्डा आदि से वादिनी व उनके पति को मारे है जिससे वादिनी के घुटने के पास चोटें भी आयी है। हल्ला गुहार होने पर विपक्षीगण जान-माल की धमकी देकर भाग गए। विपक्षीग अपराधी किस्म के व्यक्ति है जो वादिनी व वादिनी के परिवार को कभी भी मार सकते है। वादिनी के उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-115(2), 352, 351(3), 333 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज होकर विवेचना प्रचलित है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केसडायरी व थाने की आख्या का सम्यक अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है एवं मजदूरी पेशा वाला व्यक्ति है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है और न ही वादिनी व उसके पति को मारा-पीटा है, न ही गाली-गुप्ता दिया है और न ही जान से मारने की धमकी दिया है। आवेदक को केवल रंजिश के आधार पर फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराई गई है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। आवेदक के घर पुलिस बराबर दबिश दे रही है। आवेदक की गिरफ्तारी की प्रबल संभावना है। अतः आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर अवमुक्त कर दिया जाय।

5. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी के घर में घुसकर वादिनी तथा उसके पति के साथ मार-पीट की गई है और उन्हें गाली-गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई है।

6. तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा अधिकतम 07 वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त को विवेचना के दौरान गिरफ्तार होना नहीं कहा गया है। अभियुक्त द्वारा शपथपत्र के माध्यम से स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की गई है। अभियोजन की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके विरूद्ध अन्य आपरधिक वाद भी पंजीकृत है। थाना-कोतवाली नगर की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध इस मुकदमे के अलावा अन्य आपराधिक वादों का पंजीकृत होना उल्लिखित किया गया है, जिससे उसका आपराधिक पूर्ववृत परिलक्षित होता है।

उभयपक्ष के तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में पंजीकृत आपराधिक वादों को दृष्टिगत रखते हुए उसे धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अस्तु उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राहुल यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-113/2026 अंतर्गत धारा-115(2), 352, 351(3), 333 भारतीय न्याय संहिता थाना-कोतवाली नगर, जनपद-बलरामपुर में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।
IDNo UP 1591